कार्यालय पंचायत समिति कोलायत

क्रमांक :– 3604 दिनांक :– 18.9.19

श्रीमान् प्रधान मुख्य वन सरक्षंक,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– कोलायत ग्राम पंचायत में स्टेडियम निर्माण हेतु भूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।
सदर्भ :– आपका पत्रांक F14 ( ) 2018/FCA/PCCF/EDS-I Date 9-9-2019 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र मे निवेदन है कि विभाग की BADP योजना के तहत कोलायत ग्राम पंचायत में स्टेडियम निर्माण हेतु कार्य स्वीकृत किया गया था। सीमाज्ञान की पुरी जानकारी नही होने के कारण कुछ भूमि का अंश वन विभाग के स्वामित्व का स्टेडियम के रूप में सम्मिलित मान लिया गया, कुछ समय पश्चात इस त्रुटी का ज्ञान होने पर भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव बनाने हेतु ग्राम पंचायत कोलायत में प्रस्ताव पारीत कर वन क्षेत्र की भूमि के एवज मे अन्य सरकारी भूमि वन विभाग को देने का निर्णय लिया गया, जिस पर वनाधिकार समिति का उपखण्ड अधिकारी कोलायत एवं जिला कलक्टर बीकानेर२के स्तर पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
उल्लेखनीय है कि सीमा ज्ञान के अभाव के कारण जो वन भूमि स्टेडियम के रूप मे शामिल हो गई उसके लिए अंकेक्षण आक्षेप बन गया और **जनलेखा समिति वर्ष 2014–15 के द्वितीय प्रतिवेदन की सिफारिस संख्या 4 के रूप में यह निर्देशित किया गया, "समिति सिफारिस करती है कि भुमि के स्वामित्व परिवर्तन की कार्यवाही की वर्तमान स्थिति से अवगत करवाया जावे।"**

उक्त जनलेखा समिति की सिफारिस की पालना के लिए वन भूमि का प्रत्यावर्तन इस विभाग की ग्राम पंचायत कोलायत को किया जाने का प्रस्ताव श्रीमान् जी को प्रस्तुत किया गया जिस पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना जनहित में होगा।

प्रासंगिक पत्र के सबंध में निवेदन है कि :–

1. वन विभाग की वन भूमि के एवज में अन्य राजकीय भूमि वन विभाग को देने के प्रस्ताव ग्राम पंचायत कोलायत द्वारा पारित कर दिया गया है अतः क्षतिपूर्ति आरोपण माफ करवाया जावे।
2. स्टेडियम निर्माण जनहित को ध्यान मे रखते हुए ग्राम पंचायत कोलायत में ही मढ रोड़ के पास मुख्यालय कोलायत में ही पूर्ण किया जाना उचित है।
3. चुकिः BADP योजना के तहत स्टेडियम का निर्माण आंशिक रूप से राजकीय भूमि एवं वन विभाग की भूमि (सीमाज्ञान के आभाव में) पर हो चुका है। अतः विकल्पों पर विचार किया जाना व्यवहारिक/सभंव नही होगा।

अतः श्रीमान्जी से निवेदन है कि आमजन भावना एवं राजहित में प्रस्तुत किये गये भूमि प्रत्यावरण प्रस्तावों को शीघ्र अनुमोदन प्रदान करावें।

18/9/19

विकास अधिकारी
पंचायत समिति, कोलायत

क्रमांक :– दिनांक :–

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद् बीकानेर।

Sd

विकास अधिकारी
पंचायत समिति, कोलायत

Scanned by CamScanner